::संशोधित आदेश::

कोविड–19 संकमण की रोकथाम हेतु नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट व क्लेमनटाऊन क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021(सोमवार) प्रातः 05 बजे तक प्रभावी **कोरोना कर्फ्यू संबंधी** इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्याः 3424/सीपीओ– डीएम– 2021दिनांक 254.4.2021 व संशोधित आदेश संख्याः 3440/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक 26.4.2021 में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया जाना जन–सुरक्षा हित में आवश्यक हो गया है, ताकि सक्रमण के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके :–

1– कोरोना कर्फ्यू नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट व क्लेमनटाऊन के साथ–साथ अब नगर पालिका परिषद **डोईवाला, हरर्बटपुर, विकासनगर तथा मसूरी** क्षेत्र में भी प्रभावी रहेगा ।

2– कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, बेकरी, डेरी, मीट–मछली (वैध लाईसेंसधारी), राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारा तथा अण्डे की दुकाने **अब मध्यान्ह 02:00 बजे तक ही खुली रह** सकेगी ।

अतः कार्यालय के पूर्व आदेश संख्याः 3424/सीपीओ–डीएम–2021दिनांक 25.4.2021 तथा संशोधित आदेश संख्याः 3440/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक 26.4.2021को उक्त सीमा तक संशोधित व समावेशित समझा जाय। शेष आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश दिनांक 29.04.2021 से प्रभावी होगा।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय–जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या :3453/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक :28,अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2– अपर मुख्य सचिव महोदया, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
3– सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
4– सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
5–आयुक्त महोदय,गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
6– समस्त जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/संबंधित थानाध्यक्ष को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
8– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
9– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून, ऋषिकेश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद गढ़ीकैन्ट, क्लेमनटाउन, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद डोईवाला, हरर्बटपुर, विकासनगर, मसूरी।
10–अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रशासन, देहरादून।
11–उप जिला मजिस्ट्रेट ऋषिकेश, देहरादून, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, डोईवाला, विकासनगर, मसूरी देहरादून।
12–मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13–जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को जन सामान्य के संज्ञानार्थ समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
14–अन्य सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।